न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :122 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 173)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. बलदेव सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखदेव सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 06.05.2025

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– **दिनांक : 12.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86 / 79 के मुरब्बा नम्बर 33, 37 की कुल 2.379 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 10 पर वादीगण की बहन भानो पुत्री जगराज सिंह, क्रम संख्या 14 पर वादीगण की बहन सुखदेवी पुत्री जगराज सिंह व क्रम संख्या 17 पर वादीगण की माता सुरजीत कौर के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज है। उक्त खाता में वर्णित भानो का सही नाम मनजीत कौर, सुखदेवी का सही नाम जसवीर कौर, व सुरजीत कौर का सही नाम सरजीत कौर है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख ऑनलाईन हो चुके है और जमाबन्दी खातेदार के आधार कार्ड से लिंक की जा रही है। लेकिन जमाबन्दी व आधार कार्ड में नाम अलग–अलग होने से जमाबन्दी आधार कार्ड से लिंक नहीं हो रही है। उक्त संशोधन के लिए वादीगण ने तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86 / 79 में क्रम संख्या 10 पर अंकित नाम भानो के स्थान पर भानो उर्फ मनजीत कौर, क्रम संख्या 14 पर अंकित नाम सुखदेवी के स्थान पर सुखदेवी उर्फ जसवीर कौर व क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुरजीत कौर के स्थान पर सुरजीत कौर उर्फ सरजीत कौर घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1329 दिनांक 05.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया कि चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86 / 79 में क्रम संख्या 8 पर दर्ज बलदेव सिंह, क्रम संख्या 10 पर दर्ज भानो, क्रम संख्या 13 पर दर्ज सुखदेव सिंह, क्रम संख्या 14 पर दर्ज सुखदेवी सभी की जाति जटसिख के स्थान पर रामगढिया अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किये जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ में पाया गया कि भानो उर्फ मनजीत कौर, सुखीदेवी उर्फ जसवीर कौर, सुरजीत कौर उर्फ सरजीत कौर तीनों को दो–दो नामों से जाना व पहचाना जाता है। साक्ष्यवादी में गवाह मनजीत कौर, गुरजिन्द्र सिंह उपस्थित आए। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किये गये।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र गवाह, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/79 की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत अरायण के तस्दीक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, जसवीर कौर के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, सरजीत कौर के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/79 में क्रम संख्या 10 पर अंकित नाम भानो के स्थान पर भानो उर्फ मनजीत कौर, क्रम संख्या 14 पर अंकित नाम सुखदेवी के स्थान पर सुखदेवी उर्फ जसवीर कौर, क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुरजीत कौर के स्थान पर सुरजीत कौर उर्फ सरजीत कौर व क्रम संख्या 8, क्रम संख्या 10, क्रम संख्या 13, क्रम संख्या 14 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर रामगढिया दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम मनजीत कौर, जसवीर कौर, सरजीत कौर दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत अरायण के तस्दीक प्रमाण में प्रमाणित किया गया है कि भानो व मनजीत कौर एक ही महिला के दो नाम है। सुखदेवी व जसवीर कौर एक ही महिला के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, गवाह के शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/79 में क्रम संख्या 10 पर अंकित नाम भानो के स्थान पर भानो उर्फ मनजीत कौर, क्रम संख्या 14 पर अंकित नाम सुखदेवी के स्थान पर सुखदेवी उर्फ जसवीर कौर, क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुरजीत कौर के स्थान पर सुरजीत कौर उर्फ सरजीत कौर व क्रम संख्या 8, क्रम संख्या 10, क्रम संख्या 13, क्रम संख्या 14 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर रामगढिया दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

बलदेव सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **122/2025**
निर्णय दिनांक :- 12.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/79 में क्रम संख्या 10 पर अंकित नाम भानो के स्थान पर भानो उर्फ मनजीत कौर, क्रम संख्या 14 पर अंकित नाम सुखदेवी के स्थान पर सुखदेवी उर्फ जसवीर कौर, क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुरजीत कौर के स्थान पर सुरजीत कौर उर्फ सरजीत कौर व क्रम संख्या 8, क्रम संख्या 10, क्रम संख्या 13, क्रम संख्या 14 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर रामगढिया दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 12.06.2025

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/367

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)